(53)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3514–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–7–2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 42/अ–74/12–13.

---

राहुल पिता कमलसिंह बिलोनिया
निवासी ग्राम मोरोद
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदक

**विरूद्ध**

मध्य प्रदेश शासन तर्फ तहसीलदार, इन्दौर .....अनावेदक

---

श्री कपिल यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 12/5/17 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, इन्दौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से इस आशय का प्रतिवेदन कलेक्टर, इन्दौर के प्रेषित किया गया कि ग्राम माचला तहसील इन्दौर स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247 व 248 हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दी गई थी, जो बाद के वर्षो में भूमिहीन व्यक्तियों/पट्टेदारों को पट्टे पर आवंटित की गई । उक्त भूमियां अहस्तांतरणीय स्वरूप की होने के बावजूद भी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय कर दी गई हैं एवं नामांतरण भी हो गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों पर से आवेदक का स्वत्व समाप्त करते हुए भूमि शासन में वेष्ठित की जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–74/12–13 दर्ज कर दिनांक

24–7–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों पर से आवेदक का नाम कम करते हुए शासन में वेष्ठित किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और तहसीलदार द्वारा उसका नमांतरण किया गया है । अतः प्रतिवेदन में यह उल्लेख उचित नहीं है कि उनकी जानकारी में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामांतरण नहीं हुआ है ।

(2) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने तर्कों में जिन न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया था, उन पर बिना विचार किये कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया ।

(3) आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज होकर वह कब्जेदार है, इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा बिना उसे पक्षकार बनाये आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है ।

(4) आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सद्भाविक क्रेता है, और सद्भाविक क्रेता को परेशान करने के उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे की भूमि होकर अहस्तांतरणीय भूमि है, और शासकीय पट्टेदार द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अवैधानिक एवं शून्यवत होने से उसके आधार पर किये गये नामांतरण को शून्य घोषित करने में कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम स्वराज्य सहकारी संस्था को कृषि कार्य हेतु पटटे पर प्रदाय की गई है । भूमियॉ अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद संस्था के भूमिहीन सदस्य पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का विक्रय बिना

सक्षम अधिकारी की अनुमति के आवेदक को किया गया है। संहिता की धारा 165–7(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि पटटे की भूमि अहस्तान्तरणीय है और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट है कि पटटेदारों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों के विक्रय में संहिता की धारा 165–7–ख का उल्लंघन किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का स्वत्व समाप्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय घोषित करने में पूर्णतः वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वत्व व स्वामित्व की भूमि है, क्योंकि इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पटटे की नहीं होकर विक्रेता के स्वामित्व की भूमि है और ना ही आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को अनुमति लिये जाने संबंधी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ किस व्यक्ति को कब पटटे पर प्रदान की गई थी और उसका प्रथम अंतरण कब और किसको हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुये जो निष्कर्ष निकाला गया है, वही न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू होंगे । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर